सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64 / 17 **निर्णय दिनांकः–09–08–2019**

1. मघसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी चक 2 एस.एल.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।
3. नानूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी गावं मंसूरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09–01–2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमप्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश क्रमांक 75–76 दिनांक 09–01–2017 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि को निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 2 एसएलएम सीएडी चक 1—2 एसएलएम के मुरब्बा नम्बर 16/28, 16/29 व 16/37 में 12 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जोकि पूर्व खातेदार नानूराम की रही है, उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03—09—2015 अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है। उक्त विकय्र पत्र के आधा पर अपीलांट के नाम इंतकाल संख्या 87 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 75—76 दिनांक 09—01—2017 क माध्यम से आवंटन को निरस्त करने का जारी कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 नानूराम द्वारा वर्ष 2015 में ही विक्रय कर दी गई थी तथा इस भूमि की एवज में चक 1 एस.एन. के मुरब्बा नम्बर 178/27 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना बताया है, जबकि मुरब्बा नम्बर 16/28, 16/29 व 16/27 की भूमि जो अपीलांट को पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी थी को निरस्त करना बताया गया है। जबकि उक्त भूमि का मालिक अपीलांट हो चुका है तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी अपीलांट को प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विनिमय समिति के आदेश के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि रकबा पूर्व से ही अपीलांट का खरीदशुदा रकबा है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का क्षेत्राधिकार पूगल व खाजुवाला परिवर्तित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सही स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब किसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो उस स्थिति में उक्त खातेदारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही निरस्त किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट की खातेदारी भूमि को निरस्त किया गया है जिसका कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के आवंटन/खातेदारी भूमि को निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि का आवंटन किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा जिस आदेश की अपील की गई है उक्त आदेश मात्र एक पत्र है जोकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को संबोधित करते हुए लिखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्र आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा तहसीलदार खाजुवाला को सम्बोधित पत्र क्रमांक एसडीओ/पूगल/खातेदारी/16/75—76 दिनांक 09—01—2017 के विरूद्व उपरोक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एक विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिखा गया पत्र मात्र है। उक्त पत्र में पूर्व में दिनांक

12—04—2001 को जारी आदेश की पालना का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्र की अपील राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के संधारणीय नहीं है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील विधि प्रावधानों के विपरीत होने व सारहीन होने पर खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 09—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर